

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

गुरुनान लेखन विपक्षी 21/6/23  
 212 P121 पत्रावली संख्या 113/09 सान

कार्यवाही विवरण  
 हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

10/9/23 आज दिनांक को मात्र एगोरिगेसन मांकी से कार्य स्थगित करने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक... 28/11/23 को पेश हो।

20/11/23 पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प उपोषा दिनांक 21/5/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) मावली

3/5/23 पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक-21/7/23 को पेश हों।

सहायक कलेक्टर (SDO) मावली

18/7/23 पत्रावली अधिवक्ता प्राथमिक मध्य प्राथमिक द्वारा तलबी/मध्य विद्रो को प्र.पत्र पेश करने पर लख की गई। प्राथी सं. 3 को छेने से प्र.पत्र 0222 CPC का पेश किया। प्र.पत्र सं. 3 को छेने से प्र.पत्र 0222 P3 CPC का पेश किया। कोई आदेश नहीं देने में प्र.पत्र 0222 P3 CPC को न्यायालय में स्वीकार किया जाकर प्राथी सं. 3 के वारिस को रेकार्ड पर लिया जाने का आदेश दिया जाया है। को. वारिस पेश किया। प्र.पत्र सं. 3 प्राथमिक द्वारा उपस्थित होकर पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चलाकर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाने का निर्देश किया। अतः प्राथमिक कोई कार्यवाही नहीं चलाए प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्राथमिक की पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई अतः प्राथमिक कोई कार्यवाही नहीं चलाए प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाया है। प्र.पत्र में जारी एम्पेरियम एम्पेरियम निषेधाज्ञा टयर्ड भाषी है। पत्रावली कैम्प छुट्टा के दिनांक को पेश हो। निर्णय सुनाया गया।

कि. गुरुनान लेखन

कि. गुरुनान लेखन

अधिवक्ता



सहायक कलेक्टर (SDO) मावली

adanti by my me 20/8/23